



जन शिक्षण संस्थान (JSS)

यह संस्थान क्या है

जन शिक्षण संस्थान (JSS) एक सरकारी-वित्त-पोषित सामुदायिक संस्थान है जो औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था से बाहर रह गए लोगों को कौशल प्रशिक्षण देता है — विद्यालय छोड़ चुके लोग, नव-साक्षर, ऐसी महिलाएँ जो कभी विद्यालय नहीं गईं, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बेरोजगार युवा। JSS सिलाई, ब्यूटी कल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, बिजली का काम, और हस्तशिल्प जैसे ट्रेडों में अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (सामान्यतः 2-6 माह) चलाते हैं। ये गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा चलाए जाते हैं जिन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) से अनुदान मिलता है। हर जिले में JSS नहीं है — राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 294 हैं।

यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप विद्यालय बीच में छोड़ चुके हैं और निःशुल्क कोई व्यावहारिक कौशल सीखना चाहते हैं, तो JSS ठीक आप जैसी स्थिति वाले लोगों के लिए बना है। JSS आपको NIOS (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) में नामांकन में भी मदद करते हैं ताकि आप कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ कक्षा 10 या 12 का प्रमाण पत्र भी पा सकें।

अभिशासन

कानून / नीति	दायरा
जन शिक्षण संस्थान योजना दिशा-निर्देश (MSDE)	JSS स्थापना, NGO चयन, अनुदान, और मूल्यांकन को नियंत्रित करते हैं
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF)	जहाँ संभव हो, JSS पाठ्यक्रम मान्यता-प्राप्त प्रमाण पत्रों के लिए NSQF-संरेखित होने चाहिए

- केंद्र:** MSDE → जन शिक्षण संस्थान निदेशालय (DJSS) — सीधा पर्यवेक्षण करता है, अनुदान जारी करता है, मूल्यांकन करता है। JSS अब समग्र केंद्रीय क्षेत्रक स्किल इंडिया कार्यक्रम (SIP) के तीसरे घटक के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS) के साथ है।
- नियामकीय:** राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) DJSS के पुरस्कार-प्रदाता निकाय और मूल्यांकन एजेंसी कार्यों के संबंध में नियामक संस्था है; NCVET JSS के लिए DJSS द्वारा डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुमोदन भी करती है।
- क्षेत्रीय निगरानी:** क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय (RDSDE, प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के अंतर्गत) JSS केंद्रों के समय-समय पर क्षेत्रीय दौरे करते हैं, नए JSS के लिए आवेदक एजेंसियों का निरीक्षण करते हैं, और स्थानीय परंपरागत कौशल एवं कौशल माँग पर DJSS को सलाहकार सूचना देते हैं। RDSDE को राज्य स्तर पर अपने क्षेत्राधिकार में JSS की निगरानी एवं पर्यवेक्षण भी सौंपा गया है।
- जिला:** जिले की जिला कौशल समिति (DSC) JSS के साथ मिलकर जिला-स्तरीय कौशल माँगों की पहचान करती है, JSS की वार्षिक कार्य योजना के लिए पाठ्यक्रमों का सुझाव देती है, और जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है; DSC प्रदर्शन-संवर्धन के लिए DJSS को सूचना भी देती हैं।
- संस्थान:** JSS निदेशक (कार्यान्वयनकर्ता NGO द्वारा नियुक्त)
- भौगोलिक कवरेज:** आज हर जिले में JSS नहीं है; MSDE की दृष्टि चरणबद्ध रूप से प्रति जिला एक JSS स्थापित करने की है
- वित्त-पोषण:** 100% केंद्रीय; प्रति JSS ₹50 लाख का वार्षिक आवर्ती अनुदान, साथ ही नए स्वीकृत संस्थानों के लिए ₹20 लाख का एकमुश्त स्थापना अनुदान

मुख्य पद

पद	उत्तरदायित्व
JSS निदेशक	JSS के प्रशासनिक प्रमुख; प्रबंधन बोर्ड के सदस्य-सचिव
कार्यक्रम अधिकारी	आजीविका प्रकोष्ठ के प्रमुख; पाठ्यक्रम, मोबिलाइजेशन, आजीविका संपर्क
सहायक कार्यक्रम अधिकारी / क्षेत्र समन्वयक	प्रशिक्षण केंद्रों में क्षेत्र-संचालन
मास्टर ट्रेनर / प्रशिक्षक	कौशल प्रशिक्षण संचालित करते हैं; पूर्णकालिक या विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अनुबंधित



प्रशासनिक संरचना (JSS-2.0 दिशा-निर्देश, MSDE 2023 के अनुसार): एक 16-सदस्यीय **प्रबंधन बोर्ड (BoM)** जिसमें अध्यक्ष और सदस्य-सचिव शामिल हैं, और कम-से-कम चार महिला सदस्य हों; एक **कार्यकारी समिति (EC)** जिसकी अध्यक्षता BoM के उपाध्यक्ष करते हैं, जिसमें BoM के दो गैर-शासकीय सदस्य, जिला कलेक्टर के नामित (कौशल / ग्रामीण विकास), सरकारी ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) / पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य का नामित, और JSS निदेशक सदस्य-सचिव के रूप में होते हैं; तथा कोर स्टाफ – JSS निदेशक, कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी / क्षेत्र समन्वयक, लेखाकार और कंप्यूटर ऑपरेटर – सभी अनुबंध पर BoM द्वारा नियुक्त (MSDE द्वारा नहीं)।

अनिवार्य सेवाएँ

- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगजन (विकलांगजन) और आर्थिक रूप से कमजोर / गरीबी रेखा से नीचे (BPL) लाभार्थियों को निःशुल्क व्यावसायिक पाठ्यक्रम देना; सामान्य-वर्ग के लाभार्थियों से अधिकतम ₹100 प्रतिमाह लिया जा सकता है। शुल्क रसीदें विकास निधि में जाती हैं।
- आजीविका प्रकोष्ठ का संचालन (कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में): लाभार्थियों के कौशल का स्थानीय माँग से मानचित्रण, परामर्श, JSS पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) तथा नियोक्ताओं से जोड़ना, प्लेसमेंट की ट्रेकिंग, और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष कम-से-कम 5 स्व-सहायता समूह (SHG) / संयुक्त दायित्व समूह (JLG) बनाने का प्रयास
- जिले के सभी ब्लॉकों को रोटेशन के आधार पर कवर करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क संचालित करना, जिसमें कम-से-कम एक प्रशिक्षण केंद्र JSS मुख्य कार्यालय में हो। **वार्षिक प्रशिक्षण लक्ष्य: प्रति JSS 1,800 लाभार्थी** (कम आबादी वाले, पहाड़ी, द्वीप, या सीमावर्ती जिलों के लिए 900 तक शिथिल; आवर्ती अनुदान इसी लक्ष्य के अनुपात में जारी होता है)
- लाभार्थियों के उत्पादों को राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) के UdhyaKart पोर्टल (udhyamkart.in) पर सूचीबद्ध करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना
- पंचायतों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, और SHG के माध्यम से सक्रिय सामुदायिक आउटरीच चलाना
- कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ औपचारिक शैक्षणिक समकक्षता के लिए लाभार्थियों को NIOS में नामांकित करने में मदद करना
- जहाँ पाठ्यक्रम संरेखित हों, वहाँ NSQF-संरेखित प्रमाण पत्र देना

संबद्ध योजनाएँ

- **PMKVY** – कुछ JSS PMKVY प्रशिक्षण साझेदार भी हैं
- **प्रधानमंत्री MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी) योजना** – स्व-रोजगार लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म-उद्यम ऋण
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)** – विनिर्माण या सेवा इकाइयाँ शुरू करने वाले लाभार्थियों के लिए ऋण
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** – JSS महिलाओं को ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत SHG से जोड़ता है
- **NIOS** – कक्षा 10/12 प्रमाण पत्र चाहने वाले विद्यालय छोड़ चुके लोगों के लिए शैक्षणिक समकक्षता
- **UdhyaKart** – udhyamkart.in पर लाभार्थी उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाज़ार

कैसे ढूँढें

पोर्टल: jss.gov.in – जिले-वार परिचालनगत JSS और कार्यान्वयनकर्ता NGO की सूची वाला कैनोनिकल योजना पोर्टल। skillindiadigital.gov.in/training-centres?PageSize=18&SourceSystem=%22JSS%22 पर Skill India Digital का एकीकृत लोकेटर भी राज्य-वार फ़िल्टर के साथ JSS-फ़िल्टर्ड प्रशिक्षण केंद्र देता है (केवल ब्राउज़र; स्क्रीपिंग टूल में नहीं चलेगा)। NSQF-संरेखित पाठ्यक्रम विवरण के लिए ncvet.gov.in भी देखें।

इसके अलावा: जिला कलेक्टर, जिला कौशल समिति, या स्थानीय NGO से पूछें – कार्यान्वयनकर्ता NGO समुदाय में जाना-पहचाना होगा

मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील JSS में होना चाहिए: ट्रेड-विशिष्ट उपकरण (सिलाई मशीनें, कंप्यूटर, बिजली के औज़ार) वाले पर्याप्त प्रशिक्षण कक्ष, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कच्चा माल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट युक्त प्रशासनिक कार्यालय, तथा JSS नाम, कार्यान्वयनकर्ता NGO, संचालित पाठ्यक्रम, और संपर्क सूचना दर्शाने वाला साइनबोर्ड।



एक क्रियाशील JSS कैसा दिखता है

- JSS सूचीबद्ध पते पर भौतिक रूप से दिखाई देने वाले साइनबोर्ड के साथ मौजूद है
- सक्रिय बैच लक्षित समूह (विद्यालय छोड़ चुके लोग, नव-साक्षर, महिलाएँ, अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)) के लाभार्थियों के साथ चल रहे हैं
- संचालित पाठ्यक्रमों के लिए उपकरण पर्याप्त हैं (प्रति बैच पर्याप्त मशीनें)
- आजीविका प्रकोष्ठ में स्टाफ़ है और पिछले 2-3 पूर्ण बैचों का परिणाम-डेटा है
- सभी लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क है
- जहाँ लागू हो, पाठ्यक्रम NSQF-संरेखित प्रमाण पत्र देते हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु JSS निदेशक है। शुल्क-वसूली (लक्षित लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क होना चाहिए; सामान्य-वर्ग का शुल्क ₹100/माह तक सीमित), पाठ्यक्रम गुणवत्ता, सामग्री-वितरण न होना, या प्रमाणन में देरी जैसे मामले पहले यहीं उठाए जाते हैं। JSS के भीतर, कार्यकारी समिति (अध्यक्षता: उपाध्यक्ष) निर्धारित सतर्कता एवं शिकायत प्रकोष्ठ है, और कार्यस्थल यौन उत्पीड़न के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पॉशा), 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के रूप में भी कार्य करती है; EC प्रबंधन बोर्ड को रिपोर्ट करती है। एक पोर्टल-आधारित शिकायत उपकरण भी उपलब्ध है, जिसमें निर्धारित निपटान-समय और MSDE में JSS प्रभाग के ब्यूरो प्रमुख तक एस्केलेशन की सुविधा है।

सेवा के बाद। मामला कार्यान्वयनकर्ता NGO के शासी बोर्ड और फिर सीधे MSDE में जन शिक्षण संस्थान निदेशालय तक बढ़ाया जाता है, जिसके पास हर JSS पर पर्यवेक्षण और अनुदान-जारी करने का अधिकार है। NCVET DJSS पाठ्यक्रम-डिजाइन और गुणवत्ता शिकायतें संभालती है।

बाहरी। MSDE का शिकायत चैनल msde.gov.in तथा skillindiadigital.gov.in योजना-स्तरीय शिकायतें संभालता है। NCVET का पोर्टल ncvet.gov.in नियामक-स्तरीय शिकायतें स्वीकार करता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, pgportal.gov.in) केंद्रीय शिकायत मार्ग है। JSS लाभार्थियों को प्रभावित करने वाले बैंक-संपर्क मुद्दों के लिए cms.rbi.org.in पर बैंकिंग ओम्बड्समैन का क्षेत्राधिकार है।